"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग तक. 114-009/2003/20-01-(

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 मार्च 2007—चैत्र 8, शक 1929

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2007

क्रमांक 05/चार/लो. स. उप. चु./2007/781.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्र.-434/छ. ग.-लो. स./2003, दिनांक 29-3-2007 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

आलोक शुक्ला,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 29 मार्च, 2007—8 चैत्र, 1929 (शक)

अधिसूचना

सं. 434/छ. ग.-लो. स./2003 (1).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि इसकी तारीख 7 अक्टूबर, 2003 की अपनी अधिसूचना संख्या 434/छ. ग.-लो. स./2003 (1) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी :-

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक व नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर	अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफिसर
11-राजनांदगांव	89-वीरेन्द्रनगर (सामान्य)	अनुविभागीय अधिकारी (सामान्य) कवर्धा.	1. कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग-कवर्धा. 2. कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कवर्धा.
	90-कवर्धा (सामान्य)	सहायक कलेक्टर, कबीरधाम	1. जिला आबकारी अधिकारी, कबीरधाम. 2. कार्यपालन अभियंता प्रधान-मंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना इकाई, कबीरधाम.

निर्वाचन क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग आफिसरों के रूप में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति, सम्बन्धित निर्वाचन-क्षेत्र में मतों की गणना सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर प्रभावी नहीं रहेगी.

आदेश से,

हस्ता./-
(ललित मोहन)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 29th March, 2007—8 Chaitra, 1929 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/C. G.-HP/2003 (1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 434/C. G.-HP/2003 (1) dated 7th October, 2003, namely :-

In column (2) of the table appended below to the said Notification, the following entries shall be added :-

TABLE

No. & Name of Parliamentary Constituency	No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer	Additional Assistant Returning Officer
11-Rajnandgaon	89-Virendra Nagar (General)	Sub Divisional Officer (General) Kawardha.	1. Executive Engineer, Rural Engineering Services Division-Kawardha. 2. Executive Engineer, Public Health Engineering, Kawardha.
	90-Kawardha (General)	Additional Collector Kabirdham.	1. District Excise Officer, Kabirdham. 2. Executive Engineer, Prime Minister, Rural Road Project Unit Kabirdham.

The appointment of the above officers as Assistant Returning Officers in respective Constituency will cease to be effective on successful completion of counting of votes in the Constituency concerned.

By order,

Sd/-
(LALIT MOHAN)
Secretary,
Election Commission of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.